



81

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग 3631 I / 2015

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक / 2015 जिला जबलपुर

झुँझीलाल गौड़ आमज स्व. सुन्दर गौड़
निवासी 11, नानाखेड़ा तहसील व
जिला जबलपुर

श्री... बीमा चूक्का
दृष्टा आज दि 6-11-15 दो
प्रस्तुत
[Signature]
कलई 30मा/11/15
राजस्व मण्डल ग्वालियर

— आवेदक

विलङ्घ

- 1- श्री महाजन सेन आमज सुखलाल
निवासी 2188, मेडीकल गोल व्हाटर
के पीछे श्री अम्बेडकर चौक
तहसील व जिला जबलपुर
- 2- श्री रमेश श्रीपाल आमज स्व. प्यारेलाल
निवासी म.नं. 107, ग्राम सिवनी टोल
सिवनी तिलवारा घाट, तह. व
जिला जबलपुर

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

Re. 1/-
6/11/15

व्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 346/अ-21/2013-14 में पारित
आदेश दिनांक 19-10-15 के विलङ्घ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
तहत निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहांकि, अधीनस्थ व्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल
होने से अपार्क्त किए जाने योग्य है।
2. यहांकि, अधीनस्थ विचारण व्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नानाखेड़ा प0ह0न0
33/26 रा0नि0म0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नंबर 111/2

मुख्यमाला

कृति

R 3631, II/15 (ग्राम्य)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-3-16	<p>आवेदक की ओर से अभिभाषक धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से अभि. श्री अनिल श्रीवार्स्तव उपस्थित ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नौट-प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया । शासकीय अभि. को कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक अभि. के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> संदर्भ</p> <p style="text-align: right;">Anil 15/03/2016 ग्राम्य</p>	